परिशिष्ट–एक
परीक्षा–योजना

1. यह संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा निम्न चरणों में संपन्न होगीः–

- **राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा** जिसके माध्यम से राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
- **राज्य सेवा मुख्य परीक्षा** एवं **साक्षात्कार** जिसके द्वारा विभिन्न श्रेणियों की सेवाओं तथा पदों के लिये उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

2. **(क) प्रारंभिक परीक्षा** में वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार का अधिकतम 300 अंकों का **एक** प्रश्नपत्र होगा, इस प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन एवं मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे।

(ख) यह परीक्षा केवल प्राक्चयन परीक्षण (स्क्रीनिंग–टेस्ट) के रूप में ली जाती है और ऐसे उम्मीदवारों द्वारा, जिन्हें मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्ह घोषित किया जाता है, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों की गणना उनका अंतिम योग्यता क्रम निर्धारित करने में नहीं की जाएगी।

(ग) ⋆ प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार का होगा प्रत्येक प्रश्न के लिये चार संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ,ब,स, और द में समूहीकृत किया जायेगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/**लगभग सही** होगा, उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णीत सही माने गये अ,ब,स, या द में से केवल एक पर चिन्ह लगाना होगा।

(घ) ⋆ प्रश्न पत्र में **150** प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिये **2 अंक** होंगे और जिसकी समय अवधि **2.30 घंटे** की होगी।

(इ) प्रारंभिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट–II** में दर्शित है।

(फ) प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में होगा।

(च) ⋆ प्रारंभिक परीक्षा के अन्तर्गत उम्मीदवारों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में अर्हकारी अंक केवल 23 प्रतिशत होंगे।

3. मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दी गई विभिन्न श्रेणियों की सेवा तथा पदों को भरे जाने वाले कुल रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग पन्द्रह गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग ने विशिष्ट परीक्षाफल के अधीन प्रारंभिक परीक्षा में अर्ह घोषित किया हो मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये पात्र होंगे।

4. **मुख्य परीक्षाः–**

(क) ⋆ मुख्य परीक्षा में– चार प्रश्न पत्र निम्नानुसार होंगेः–

(1) अनिवार्य प्रश्न पत्र

प्रश्न पत्र I

सामान्य अध्ययन **2:30 घंटे**
प्रश्नों की संख्या **150** **अंक 300**

प्रश्न पत्र II

भाषा (सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी)
2:30 घंटे
प्रश्नों की संख्या **150** **अंक 300**

(2) ऐच्छिक प्रश्न पत्र

प्रश्न पत्र III

ऐच्छिक प्रथम प्रश्न पत्र **2:30 घंटे**
प्रश्नों की संख्या **150** **अंक 300**

प्रश्न पत्र IV

ऐच्छिक द्वितीय प्रश्न पत्र **2:30 घंटे**
प्रश्नों की संख्या **150** **अंक 300**

(ख) ऐच्छिक विषयों की सूची में से अभ्यर्थियों को केवल **एक** विषय का चयन करना होगा। ऐच्छिक विषय के दो प्रश्न पत्र होगें ।

(ग) मुख्य परीक्षा के लिए ऐच्छिक विषयों की सूचीः–

1. कृषि,
2. पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान,
3. वनस्पति विज्ञान,
4. रसायन विज्ञान,
5. सिविल इंजीनियरिंग,
6. वाणिज्य तथा लेखांकन,
7. अर्थशास्त्र,
8. विद्युत इंजीनियरिंग,
9. भूगोल,
10. भू–विज्ञान,
11. इतिहास,
12. विधि,
13. गणित,
14. यांत्रिकी इंजीनियरिंग,
15. दर्शनशास्त्र,
16. भौतिकी,
17. राजनीति शास्त्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध,
18. मनोविज्ञान,
19. लोक प्रशासन,
20. समाजशास्त्र,
21. सांख्यिकी,
22. प्राणी विज्ञान,
23. मानव विज्ञान,
24. अपराध शास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान,
25. सैन्य विज्ञान

(घ) ⋆ परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहु विकल्प प्रश्न) के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिये चार संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ,ब,स, और द में समूहीकृत किया जायेगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/**लगभग सही** होगा, उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णीत सही माने गये अ,ब,स, या द में से केवल एक पर चिन्ह लगाना होगा।

(इ) प्रत्येक प्रश्न पत्र की समय अवधि 2:30 घंटे की होगी।

(द) सभी प्रश्न पत्र हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे। इंजीनियरिंग विषयों के प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में होंगे।

(फ) अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषयों के पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट III** में दिये गये हैं।

(च) मुख्य परीक्षा के अन्तर्गत उम्मीदवारों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में अर्हकारी अंक केवल 23 प्रतिशत होंगे।

5. **साक्षात्कार** के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दी गई कुल रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा में अर्ह घोषित किया जावेगा, वे साक्षात्कार के पात्र होंगे।

6. **साक्षात्कारः**–साक्षात्कार के लिये 150 अंक होंगे (इसके लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं होंगे)

⋆ छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6–3/2008/1/एक, दिनांक 23/12/2011 के द्वारा संशोधित।

क्रमशः